न्यायालय : अति0 सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
"जिला न्यायाधीश संवर्ग"

फौजदारी निगरानी संख्या : 08/2019 (32/2019)

एन.सी.वी. नं. : 32/2019

जगदीश गुर्जर पुत्र छीतरमल, उम्र–45 वर्ष, निवासी–ग्राम लबाना, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

––निगरानीकार

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।

2– राजवीर सिंह, थानाधिकारी, पुलिस थाना–चंदवाजी

3– हनुमान यादव, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस थाना–चंदवाजी

4– पन्नालाल, पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस थाना–चंदवाजी।

5– छीतरमल, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस थाना–चंदवाजी।

6– सीताराम कांस्टेबल, पुलिस थाना–चंदवाजी।

7– भैरूलाल यादव पुत्र श्री भूराराम यादव, निवासी–तेजाला की ढ़ाणी, ग्राम–अचरोल, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

8– अन्य अज्ञात अभियुक्तगण

––गैरनिगरानीकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 397 जाप्ता फौजदारी विरूद्ध आदेश दिनांक 24.01.2019 द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर, एफ.आर. संख्या 320/2018, एफ.आई.आर संख्या 259/2018, पुलिस थाना–चंदवाजी, जयपुर, उनवानी जगदीश बनाम सरकार में अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पारित आदेश।

उपस्थिति:

1 – निगरानीकार अनुपस्थित।
2 – अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3– गैर निगरानीकारान संख्या–2 लगायत 7 अनुपस्थित।

:: आदेश :: **दिनांकः 01 जुलाई, 2026**

1. निगरानीकार द्वारा यह निगरानी विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 से व्यथित होकर, माननीय सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के यहां पेश की गयी जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

2. विगत पेशियों से प्रकरण में ना तो निगरानीकार उपस्थित आ रहा हैं ना ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आ रहे हैं तथा गैरनिगरानीकारान संख्या–2 लगायत 6 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आज गुणावगुण पर आदेश पारित किया जा रहा है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी/निगरानीकार ने एक परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि, ''उसकी भाँजी सुश्री मीना गुर्जर द्वारा आत्महत्या की गई जो कि योगश यादव व उसके साथियों द्वारा उकसाने के कारण की गई थी। उक्त घटना पर पुलिस थाना चन्दवाजी में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 145/2018 दिनाक 02.05.2018 को अभियुक्त योगेश यादव व अन्य के विरूद्ध दर्ज की गई। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सं. 2 हनुमान यादव सहायक पुलिस उप–निरीक्षक को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त प्रकरण मे परिवादी के बयान अनुसंधान अधिकारी श्री हनुमान यादव के द्वारा लेखबद्ध भी किये गये। उक्त प्रकरण (एफ.आई सं. 145/2018) में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानबूझकर घोर लापरवाही बरती गई तथा अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने के उधेश्य से साक्ष्य मिटाने का समय दिया गया, झूठे व मनगंढत तथ्य गढे गये ताकि अभियुक्तगण को प्रकरण से निकाला जा सके। उक्त कृत्य के विरूद्ध मृतका के पिता नन्छु (परिवादी के जीजा जी) के द्वारा दिनांक 20.06.2018 को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक महोदय को लिखित में शिकायत की गई। इस लिखित शिकायत के पश्चात पुलिस थाना चन्दवाजी के थानाधिकारी व अन्य पुलिस अधिकारीगण मृतका के परिजनों व परिवादी से नाराज हो गये, तथा इसी क्रम में दिनांक 21.06.2018 को सुबह 9.00 बजे के

आस–पास थानाधिकारी राजवीर सिंह राठौड का फोन परिवादी को आया जिसमे अभियुक्त सं. 1 द्वारा 20.06.2018 को दी गई शिकायत पर नाराजगी जतायी गयी और परिवादी को देख लेने की धमकी दी गई। 9.25 ए.एम के आसपास जब परिवादी अचरोल तिराहे के पास किसी काम से पहुंचा तब चौकी का एक कॉस्टेबल अभियुक्त सं. 5 सीताराम मीणा जो कि सादे कपडों में था, उससे मिला और कहा कि, आपको पन्नालाल (एस.आई) साहब ने याद किया है। परिवादी अभियुक्त सं. 5 के साथ जब चौकी पहुंचा तब अभियुक्त सं.3 पन्ना लाल वहाँ मौजूद नहीं था, पर अभियुक्त सं. 5 सीताराम कॉस्टेबल ने कहा कि पन्नालाल अन्दर है। जब परिवादी कमरे में गया तब अभियुक्त सं. 3 पन्नालाल वहाँ भी नही था। परिवादी द्वारा अभियुक्त सं. 5 सीताराम से पूछने पर उसने कहा कि चुपचाप बैठ जाओं, इस पर परिवादी ने कहा कि मुझे काम है मैं बाद में आकर पन्ना लाल जी से मिल लूंगा, तो सीताराम ने परिवादी को धक्का देकर गिया दिया, इतने में दो कॉस्टेबल और आ गये वे भी सादे कपडों मे थे, उन्होंने भी परिवादी को थप्पड मारे तथा फर्श के कोने में बैठने को कहा तो परिवादी डर के मारे बैठ गया। परिवादी ने इस व्यवहार का कारण पूछा तो सीताराम ने बताया कि इन्चार्ज (अभियुक्त सं. 1) के आदेश है कि तूने उनकी कोई शिकायत की है, अभी हनुमान यादव (अभियुक्त सं. 2) भी आकर तूझे ठोकेगा। लगभग 1 घण्टे तक परिवादी को वहाँ बैठाये रखा, उसके पश्चात् पन्नालाल एस.आई और छीतरमल (अभियुक्त सं. 4) ए.एस.आई आये और कहने लगे इस कुत्ते की खातिर की या नहीं, पुलिस की शिकायत करता है साला। छीतरमल ने खड़े–खडे ही 2–3 थप्पड़ परिवादी के दायें गाल पर मार दी। परिवादी ने जब कसूर पूछा तो अभियुक्तगण ने चुपचाप बैठने के लिये कहा। लगभग 1 घण्टे वही बैठे रहने के पश्चात भैरू यादव (अभियुक्त सं. 6) जो कि पूर्व संरपच होकर परिवादी का राजनैतिक प्रतिद्वन्दी भी है, 10–15 व्यक्तियों के साथ चौकी पर आया। कुछ देर उसने पन्ना लाल व छीतरमल से बात की, फिर परिवादी से कहा कि हनुमान यादव ए.एस.आई तथा एफ.आई.आर. संख्या 145/2018 में दर्ज नाम योगश यादव मेरा रिश्तेदार है हनुमान तो उसका नाम

प्रकरण से हटा रहा था तुमने कल शिकायत करके उसे अनुसंधान से हटवा दिया। भैरू लाल ने कहा कि अब तू यह लिख कर दे कि योगेश यादव का नाम हमने एफ.आई.आर में गलती से लिखा गया है और परिवादी के जोर से दायें गाल पर पुलिस वालो की उपस्थिति में ही और उन्ही की शह पर कई थप्पड मारे, जिससे परिवादी के कान पर सूजन आ गयी। परिवादी ने उनको बताया कि यदि योगश यादव निर्दोष है तो अनुसंधान अधिकारी नाम स्वतः हटा देगा। परिवादी ने तो केवल पुलिस को दिनांक 28.05.2018 को बयान दिये है लेकिन वह उस राजीनामे पर परिवादी के हस्ताक्षर लेने के लिये अडा रहा। उसने परिवादी को लात मारने की कोशिश की तो परिवादी ने उसे पकड लिया तभी बाहर बैठे पन्नालाल के साथ आये अन्य 5–7 लोग परिवादी पर टूट पडे और परिवादी को चोटिल व घायल कर दिया तथा सभी ने थप्पड, लातघूंसो से परिवादी को पीटा, जिससे परिवादी के कपडे फट गये। भैरू यादव व पुलिस वाले ने परिवादी को पकड़ कर चौकी के पीछे वाले भाग में ले जाकर बाथरूम में पटक दिया, इत्यादि।'' उक्त परिवाद पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156(3) जाप्ता फौजदारी के तहत पुलिस थाना चंदवाजी, जयपुर ग्रामीण को प्रेषित किया जिस पर पुलिस थाना चंदवाजी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 195–ए, 323, 327, 341, 342, 347, 357, 120–बी भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा बाद अनुसंधान प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। जिस पर निगरानीकार द्वारा अग्रिम अनुसंधान की याचिका विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2019 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, जिस आदेश से व्यथित होकर निगरानीकार ने उक्त निगरानी पेश की।

4. निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी का आधार यह लिया गया कि दिनांक 20.06.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 145/2018 के अनुसंधान अधिकारी हनुमान यादव थानाधिकारी राजवीर सिंह राठौड के संदर्भ में परिवादी नन्छू गुर्जर द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण व पुलिस महानिदेशक को

उनके द्वारा प्रकरण में की जा रही धांधलेवाजी व भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत दी गई थी जिसमें प्रकरण में मुख्य अभियुक्तगण को बचाने और परिवादी पक्ष के बयानों को तोडमरोड कर लिखे जाने व साक्ष्य मिटाये जाने और परिवादी के परिवार को धमकाये जाने की शिकायत थी। इस संदर्भ में जगदीश गुर्जर द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को दिनांक 22.06.2018 को लिखित शिकायत दी गई जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् न्यायालय के माध्यम से जाप्ता फौजदारी 156 (3) के तहत दिनांक 21.07.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2018 दर्ज की गई और इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ज्ञानचन्द यादव को अनुसंधान अधिकारी बनाया गया, उनके स्थानान्तरण के बाद ललित शर्मा को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि परिवादी जगदीश गुर्जर द्वारा अचरोल सरकारी चिकित्सालय में अपना ईलाज दिनांक 21. 06. 2018 को साय के समय करवाया गया और यह निरन्तर चला। यह संबंधित दस्तावेजात् उसने अनुसंधान अधिकारी को सौंपे लेकिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानबूझकर उसके चिकित्सा संबंधी अनुसंधान नहीं किया और ना ही चिकित्सालय रिपोर्ट या संबंधित डॉक्टर से कोई पूछताछ या बयान दर्ज किये। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2018 जो कि जगदीश गुर्जर द्वारा नहीं दर्ज करवाई गई थी। जगदीश गुर्जर ने इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी हनुमान यादव को दिनांक 28.05.2018 को केवल मात्र 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज करवाये थे। इन बयानों को लेकर प्राईवेट व्यक्तियों के साथ पुलिस ने प्रकरण से जगदीश गुर्जर के बयानों में योगेश यादव का नाम हटाने को लेकर जबरदस्ती मारपीट करने का षंडयत्र रचा था जबकि उसके बयान दिनांक 28.05.2018 को ही लेखबद्व हो चुके थे जिसमें योगेश यादव का नाम भी नहीं था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2018 में जगदीश गुर्जर के हुये धारा 161 सीआरपीसी के बयानों को अनुसंधान पत्रावली पर शामिल नहीं किया जबकि सम्पूर्ण घटनाक्रम पुलिस चौकी पर कारित हुई तथा उक्त घटना का एक मात्र कारण धारा 161

सीआरपीसी के बयान ही थे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के पुलिस बयानों के अलावा सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली पर कही पर भी स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को परिवादी जगदीश गुर्जर द्वारा समय–समय पर प्रतिवेदन पेश किये गये जिसमें उसके प्रकरण में दिये गये तथ्य भली प्रकार स्पष्टतः साबित हो सके लेकिन उन्होंने किसी प्रतिवेदन के किसी बिन्दु पर कोई कार्यवाही ना करते हुये प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2018 की एफआर पर प्रकरण में मुख्य अभियुक्त राजवीर सिंह एसएचओ चन्दवाजी के हस्ताक्षर है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। इस तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अनुसंधान अधिकारी, अति. पुलिस अधीक्षक के यहां से पत्रावली हनुमान यादव एएसआई को प्रेषित की गई है जो कि प्रकरण में दूसरा मुख्य अभियुक्त है, यह कार्यवाही भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है, इस तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफआर में मुकेश शर्मा, किरण सैनी, अन्य भैरू यादव के दोस्तों के बयान पत्रावली संलग्न किये गये है जिनमें उन्होने स्पष्टतः माना है कि हमने जगदीश गुर्जर को पुलिस के जरिये जबरन बुलवाया था, जबकि शांतिपूर्ण वार्ता की बात मिथ्या है जो केवल मात्र अपने बचाव में कही गई है। दिनांक 20.06.2018 को चन्दवाजी थाने एसएचओ से मिलने नहीं गया था, उक्त तथ्य एफआर में झूठा अंकित है जबकि वह अपने जीजा नन्छू गुर्जर के साथ पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण कार्यालय और पुलिस महानिदेशक के यहां प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2018 के संबंध में शिकायत देने गया था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी /परिवादी के साथ की गई मारपीट के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया गया है इस कारण प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान हेतु भेजा आवश्यक है। प्रार्थी/परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में अंकित किये गये तथ्यों के संबंध में पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया तथा बिना अनुसंधान किये पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है

जिसका वास्तविकता से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है इस कारण उपरोक्त प्रकरण को उचित अनुसंधान हेतु पुनः संबंधित थाने में भेजा जाना न्यायोचित है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाकर विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जावे।

5. निगरानीकार की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी, विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.01.2019 एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद को दिनांक 13.07.2018 को अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक को पेश कर स्वयं या अन्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुसंधान करने के आदेश पर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट 259/2018 दर्ज कर अनुसंधान हेतु पत्रावली अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को सौंपी गई जिनके द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान करने पर प्रकरण में लेखबद्ध बयानों अन्तर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, कॉल डिटेल आदि के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करना नहीं पाया गया तथा पत्रावली बाद अनुसंधान तत्कालीन एसएचओ राजवीर सिंह को प्राप्त हुई जिसके द्वारा पत्रावली प्राप्त होने पर मात्र नतीजे पर हस्ताक्षर किये गये हैं। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर अग्रिम अनुसंधान हेतु भेजे जाने का कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया गया है।

6. जहां तक पुनरीक्षण न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र 2012(9) स.सी.सी. 460 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि ''पुनरीक्षण न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का दायरा सीमित होता है, इसलिए पुनरीक्षण न्यायालय को बहुत ही सोच समझ कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अपने पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करना होता है।''

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में पत्रावली के अवलोकन से

न्यायालय का यह मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बाद अनुसंधान प्रस्तुत आरोप पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं बयानात के आधार पर निगरानीकार का प्रार्थना पत्र बाबत् अग्रिम अनुसंधान को अस्वीकार कर खारिज किए जाने का जो आदेश दिनांकित 24.01.2019 पारित किया गया है, वह हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों के अनुरूप पूर्णतया शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगरानीकार द्वारा हस्तगत निगरानी बाबत् जो आधार प्रस्तुत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में वह विचारण न्यायालय में सबूत सरसरी के दौरान उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य में तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता है। यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज निगरानीकार से दौराने अनुसंधान नहीं लिया गया था तो ऐसा दस्तावेज भी निगरानीकार साक्ष्य सरसरी में प्रस्तुत कर सकता है। निगरानीकार द्वारा हस्तगत निगरानी में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं किया गया है वह किस बिन्दु पर अग्रिम अनुसंधान चाहता है। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सारहीन प्रतीत होती है, जिसे अस्वीकार किया जाकर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.01.2019 पुष्ट किए जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः निगरानीकार जगदीश के द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.01.2019 को पुष्ट किया जाता है।

9. आदेश की सत्य प्रति विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर को अविलम्ब प्रेषित हो।

(विकास कालेर)
अति0 सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर

10. आदेश आज दिनांक 01 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास कालेर)
अति0 सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर